



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062026-273260
CG-DL-E-09062026-273260

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2803]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 8, 2026/ज्येष्ठ 18, 1948

No. 2803]

NEW DELHI, MONDAY, JUNE 8, 2026/JYAISTHA 18, 1948

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जून, 2026

का.आ. 2897(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4477(अ) तारीख 30/09/2025, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में NH-752बी (खिलचीपुर से जीरापुर रोड) (खिलचीपुर बाईपास) के कि.मी. 0+000 से कि.मी. 5+600 तक के भूखण्ड के निर्माण (दो-लेन का बनाने /चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "21 नवम्बर 2025" को "नव दुनिया" में और तारीख "02 जनवरी 2026" को "द टाइम्स ऑफ इंडिया" प्रकाशित किया गया था ;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के राजगढ़ जिले में NH752-B के (खिलचीपुर से जीरापुर रोड) (खिलचीपुर बाईपास) कि.मी. 0+000 से कि.मी. 5+600 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: राजगढ़		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/ हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: खिलचीपुर					
गांव का नाम: जालमपुरा					
1	28/2/1	निजी	सिंचित	0.01	लक्ष्मीनारायण पिता बद्रीलाल 28/2/1
2	31/1/1	निजी	सिंचित	0.057	श्रीलाल पिता शिवसिंह 31/1/1
3	37/1	निजी	सिंचित	0.016	सज्जन सिंह पिता पर्वत सिंह 37/1
4	37/2	निजी	सिंचित	0.024	शिवसिंह पिता कानजी 37/2
5	50/1/1	निजी	सिंचित	0.026	देवीसिंह पिता लक्ष्मण 50/1/1
6	53/3/1	निजी	सिंचित	0.06	भगवान सिंह पिता नारायण सिंह सूरजबाई बेवा नारायण सिंह 53/3/1

7	76/2/3/1	निजी	सिंचित	0.045	दरयाव सिंह पिता शिवसिंह 76/2/3/1
8	76/5/3/1	निजी	सिंचित	0.008	मांगीलाल पिता बीरम सिंह 76/5/3/1
9	76/5/3/2/1	निजी	सिंचित	0.007	कमल सिंह पिता बीरम सिंह 76/5/3/2/1
10	76/5/4	निजी	सिंचित	0.042	श्रीलाल पिता शिवसिंह 76/5/4
गांव का नाम: अभयपुर					
11	20/1/1	निजी	सिंचित	0.1	भंवरलाल पिता मोतीलाल कालू सिंह पिता मोतीलाल 20/1/1
12	20/3/1	निजी	सिंचित	0.023	कैलाश पिता प्रभूलाल 20/3/1
13	25/1/1	निजी	सिंचित	0.1	नारायण सिंह पिता रूगनाथ नारू सिंह पिता रूगनाथ 25/1/1
14	26	निजी	सिंचित	0.03	रामचरण सोधिया पिता शिव सिंह 26
Total				0.548	

[फा. सं. CE-RO BPL/30010/02/2017-18/3A/3D]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th June, 2026

S.O. 2897(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, **S.O.4477(E) Dated: 30/09/2025**, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for Building (widening/ 2laning etc.), Maintenance, management and operation of **NH752-B** in the stretch of land from **Km.0+000 to Km.5+600 (Khilchipur to Jirapur Road) (Khilchipur Bypass)** in the district of RAJGARH in the state of MADHYA PRADESH.

And whereas the substance of the said notification has been published in "**Nai Dunia**" dated The "**21 November 2025**" and "**The Times of India**" dated The "**02 January 2026**"; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections the has been received from any person the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the **NH 752-B** in the stretch of land from **Km.0+000 to Km.5+600 (Khilchipur to Jirapur Road) (Khilchipur Bypass)** in the district of RAJGARH in the state of MADHYA PRADESH.

State: MADHYA PRADESH			District: RAJGARH		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Hectares)	Name of Land Owner/Interested Person
1	2	3	4	5	6
Taluk: Khilchipur					
Village: Jalampura					
1	28/2/1	Private	Irrigated	0.01	Laxminarayan Father Badrilal 28/2/1
2	31/1/1	Private	Irrigated	0.057	Shri Lal Father Shivsingh 31/1/1
3	37/1	Private	Irrigated	0.016	Sajjan Singh Father Parvat Singh 37/1
4	37/2	Private	Irrigated	0.024	Shivsingh Father Kanji 37/2
5	50/1/1	Private	Irrigated	0.026	Devi Singh Father Lakshman 50/1/1
6	53/3/1	Private	Irrigated	0.06	Bhagwan Singh Father Narayan Singh Surajbai widow

					Narayan Singh 53/3/1
7	76/2/3/1	Private	Irrigated	0.045	Daryav Singh Father Shiv Singh 76/2/3/1
8	76/5/3/1	Private	Irrigated	0.008	Mangilal Father Biram Singh 76/5/3/1
9	76/5/3/2/1	Private	Irrigated	0.007	Kamal Singh Father Biram Singh 76/5/3/2/1
10	76/5/4	Private	Irrigated	0.042	Shrilal Father Shiv Singh 76/5/4
Village: Abhaypur					
11	20/1/1	Private	Irrigated	0.1	Bhanwarlal Father Motilal Kalu Singh Father Motilal 20/1/1
12	20/3/1	Private	Irrigated	0.023	Kailash Father Prabhulal 20/3/1
13	25/1/1	Private	Irrigated	0.1	Narayan Singh Father Rugnath Naru Singh Father Rugnath 25/1/1
14	26	Private	Irrigated	0.03	Ramcharan Sondhia Father Shivsingh 26
Total				0.548	

[F. No. CE-RO BPL/30010/02/2017-18/3A/3D]

SHAIKH AMINKHAN, Director